न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 60/2025 दायर दिनांकः 02.07.2025

उनवान

1. दीनकंवर आयु 57 वर्ष पत्नी शिवराज सिंह जाति राव राजपुत निवासी भकरावदा हाल मुकाम तेल फैक्ट्री बारा जिला बांरा (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 24.11.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एव माल भकरावदा तहसील अटरू में खाता सं0 73 के खसरा नं0 416 का रकबा 0.23 हे०, खसरा नं0 417 का रकबा 0.12 हे०, खसरा नं0 418 का रकबा 0.18 हे०, खसरा नं0 420 का रकबा 0.85 हे०, खसरा नं0 421 का रकबा 0.50 हे०, खसरा नं0 422 का रकबा 0.48 हे०, खसरा नं0 423 का रकबा 1.07 हे०, खसरा नं0 431 का रकबा 0.11 हे०, खसरा नं0 471 का रकबा 2.16 हे०, खसरा नं0 472 का रकबा 0.59 हे०, खसरा नं0 474 का रकबा 0.36 हे०, खसरा नं0 475 का रकबा 0.54 हे०, खसरा नं0 480 का रकबा 0.02 हे0, खसरा नं 481 का रकबा 0.02 हे०, खसरा नं0 493 का रकबा 0.19 हे०, खसरा नं0 503 का रकबा 0. 90 हे०, खसरा नं0 504 का रकबा 0.23 हे०, खसरा नं0 505 का रकबा 1.09 हे०, खसरा नं0 507 का रकबा 0.24, हे० खसरा नं0 537 का रकबा 0.15 हे०, खसरा नं0 539 का रकबा 0.50 हे० कुल किता 21 का रकबा 10.53 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीया के पति का नाम सहवन से शिवराज सिहं पुत्र हरिसिहं के

स्थान पर शिवराज सिहं पुत्र हीरालाल अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीया के पति का पुरा नाम शिवराज सिहं पुत्र हरिसिंह है जो कि उनके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि दस्तावेजो में भी शिवराज सिहं पुत्र हरिसिहं नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत दिलोदहाथी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे भी भी प्रार्थीया के पति का नाम शिवराज सिहं पुत्र हरिसिह नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज़ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपने पति का नाम शिवराज सिहं पुत्र हीरालाल के स्थान पर शिवराज सिहं पुत्र हरिसिहं दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से प्रार्थीया के पति का नाम शिवराज सिहं पुत्र हीरालाल कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही करपा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल भकरावदा पटवार हल्का दिलोदहाथी तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल भकरावदा तहसील अटरू में खाता सं0 73 के खसरा नं0 416 का रकबा 0.23 हे०, खसरा नं0 417 का रकबा 0.12 हे०, खसरा नं0 418 का रकबा 0.18 हे०, खसरा नं0 420 का रकबा 0.85 हे०, खसरा नं0 421 का रकबा 0.50 हे०, खसरा नं0 422 का रकबा 0.48 हे०, खसरा नं0 423 का रकबा 1.07 हे०, खसरा नं0 431 का रकबा 0.11 हे०, खसरा नं0 471 का रकबा 2.16 हे०, खसरा नं0 472 का रकबा 0.59 हे०, खसरा नं0 474 का रकबा 0.36 हे०, खसरा नं0 475 का रकबा 0.54 हे०, खसरा नं0 480 का रकबा 0.02 हे0, खसरा नं 481 का रकबा 0.02 हे०, खसरा नं0 493 का रकबा 0.19 हे०, खसरा नं0 503 का रकबा 0. 90 हे०, खसरा नं0 504 का रकबा 0.23 हे०, खसरा नं0 505 का रकबा 1.09 हे०, खसरा नं0 507 का रकबा 0.24, हे० खसरा नं0 537 का रकबा 0.15 हे०, खसरा नं0 539 का रकबा 0.50 हे० कुल किता 21 का रकबा 10.53 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में प्रार्थीया के पति का नाम शिवराज सिहं पुत्र हरिसिहं दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/3165 दिनांक 06.10.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया के पति शिवराज सिंह पुत्र हीरालाल जाति राजपूत का नाम जर्ये विरासत नामान्तकरण संख्या 49 से हीराला पुत्र देवीसिंह जाति रावराजपूत के स्थान पर वारिस के रूप में दर्ज हुआ था। वर्तमान में प्रार्थिया के पति का नाम शिवराज सिंह पुत्र हीरालाल जाति रावराजपूत ही दर्ज चला आ रहा है।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 मानकुंवर पुत्री राजसिंह जाति रावराजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू, Pw2 विष्णु कुमारी पुत्री नरेन्द्र सिंह जाति रावराजपूत निवासी भकरावदा तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भकरावदा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 73, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भकरावदा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 73, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भकरावदा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 46, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भकरावदा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 76, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल भकरावदा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 83, आधार कार्ड, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 73 में सहखातेदार मानकंवर बाई पुत्री राजसिंह व विष्णुकुमारी पुत्री नरेन्द्रसिंह ने भी शिवराज सिंह के पिता का नाम हरिसिंह होना स्वीकार किया है। जमाबन्दी ग्राम व माल भकरावदा के खाता संख्या 46, खाता संख्या 76 व खाता संख्या 83 में भी शिवराज सिंह के पिता का नाम हरिसिंह दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल भकरावदा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 73 के कुल किता 21 का कुल रकबा 10.53 है0 आराजी में सह खातेदार शिवराज सिंह पुत्र हीरालाल के स्थान पर शिवराज सिंह पुत्र हरिसिंह उर्फ हीरालाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल भकरावदा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 73 के कुल किता 21 का कुल रकबा 10.53 है0 आराजी में सह खातेदार शिवराज सिंह पुत्र हीरालाल के स्थान पर शिवराज सिंह पुत्र हरिसिंह उर्फ हीरालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां